संचिका सं0–10/यो0–01–02/2018 20 (10)a

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

वित्त विभाग से परामर्शित

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक– 30-01-19

विषयः– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मियों यथा–आशा, ममता (स्वैच्छिक) कार्यकर्त्ता एवं संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों तथा अन्य विभिन्न प्रकार के कर्मियों के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान करने हेतु राज्यांश मद में वित्तीय वर्ष 2018–19 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से उपबंधित राशि रुपये 19,92,00,000/–(उन्नीस करोड़ बानवे लाख रुपये) राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित आवंटन।

आदेशः स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प संख्या–86(12), दिनांक–03.02.2015 एवं विभागीय आदेश संख्या–915(12), दिनांक–01.09.2016 के क्रम में कहना है कि जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्त्ता एवं अन्य कर्मी के सेवा अवधि के दौरान मृत्युपरान्त निकटतम आश्रित को राज्य सरकार द्वारा अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान हेतु वित्त विभाग के परामर्शानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मियों यथा–आशा, ममता (स्वैच्छिक) कार्यकर्त्ता एवं संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों तथा अन्य विभिन्न प्रकार के कर्मियों के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम प्रति आश्रित को 4.00 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान राज्यांश मद अन्तर्गत विषय शीर्ष–37 01–अनुग्रह अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2018–19 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से उपबंधित राशि रुपये 19,92,00,000/–(उन्नीस करोड़ बानवे लाख रुपये) से राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से व्यय किया जाना है।

2. ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के योजनान्तर्गत कार्यक्रमों के सुगम संचालन के लिए आशा एवं ममता (स्वैच्छिक) कार्यकर्त्ताओं तथा चिकित्सकों का संविदागत नियोजन किया जाता है, जिनकी प्रतिपूर्त्ति मानदेय अथवा वेतन का भुगतान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत आवंटित राशि से की जाती है। अतएव लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने के उपरान्त विभागीय संकल्प संख्या–86(12), दिनांक–03.02.2015 के कंडिका–5 के आलोक में वित्त विभाग के परामर्शानुसार राज्य स्कीम–राज्यांश मद अन्तर्गत विषय शीर्ष–37 01 (अनुग्रह अनुदान) से राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा स्वीकृत राशि प्राप्त कर जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से **विभागीय पत्रांक–288(10), दिनांक–27.06.2018** के द्वारा उपलब्ध करायी गयी विहित प्रपत्र/सारणी के अनुरूप व्यय की जाएगी। इसके व्यय संबंधी मासिक अनुश्रवण राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा की जाएगी ।

3. राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यालय पत्रांक-4257, दिनांक-19.09.2018 एवं पत्रांक-5095, दिनांक-26.10.2018 के द्वारा राज्य के सभी जिलों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर कार्यरत आशा कार्यकर्त्ता, ममता (स्वैच्छिक कार्यकर्त्ता), चिकित्सक एवं अन्य विभिन्न प्रकार के कर्मियों की सेवावधि के दौरान मृत्यु होन पर उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान के दिशा में सभी जिलों से ऐसे कर्मियों की संख्या संग्रहित किये जाने की सूचना दी गयी है। तद्क्रम में विहित प्रपत्र के अनुरूप राज्यांश मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से उपबंधित राशि रुपये 19,92,00,000/-(उन्नीस करोड़ बानवे लाख रुपये) राज्य स्वास्थ्य समिति को विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1003(10), दिनांक-24.01.2019 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। तद्क्रम में अनुग्रह अनुदान मद में राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित आवंटन दी जाती है।

4. राज्यांश मद् की उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में अधोलिखित उपशीर्ष अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा:-

(i) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-उप शीर्ष-0309-एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210012000309, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-37 01-अनुग्रह अनुदान मद में **द्वितीय अनुपूरक आगणन** से प्राप्त एवं उपबंधित राशि रुपये 19,92,00,000/-में से कुल रुपये 19,92,00,000/-(उन्नीस करोड़ बानवे लाख रुपये) से विकलनीय होगी।

5. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगें और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होगें ।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म संख्या-46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पी0एल0 खाता-PLA-263 विपत्र कोड-K8448001200027 में सुलभ करायेगें । राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेंगें।

7. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र सं0-8244, दिनांक-02.08.2010 की कंडिका-2(ख) के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेंगे । साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी ।

8. यह आवंटनादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक-05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक-27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक-03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक-09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों एवं वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

10. राशि की निकासी विकास भवन, नया सचिवालय कोषागार, पटना से की जाएगी ।

11. राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30/1/19

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव ।

Nagmani

D:\DEP-10\Nagmani Kr\NRHM (Rajaya Swasth Samiti) Rajayadesh & Awantanadesh\ASHA (Death) Awantandesh 2018-19.doc doc.

ज्ञापांक—10/यो0—01—02/2018—........20..........(10)09 /स्वा0, पटना, दिनांक—30-01-19

प्रतिलिपि— महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि—सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली—110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—12, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30.1.19

सरकार के विशेष सचिव ।

Nagmani

D:\DEP-10\Nagmani Kr\NRHM (Rajaya Swasth Samiti) Rajayadesh & Awantanadesh\ASHA (Death) Awantandesh 2018-19.doc doc.